172/2022

बाबूलाल बनाम / अधिशासी अभियंता आदि

धारा - 188, 183 RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3/4/26 उभयपक्ष के वकील उप०। आज आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/5/26 को पेश होवे

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

1/5/26 उभयपक्ष के वकील उप०। आदेश सुनाया गया। वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 (सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर) को वादीगण को मुआवजा राशि भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं। अन्य अनुतोष बाबत वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संग्रह भण्डार होवे

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 172/2022

1. श्री बाबूलाल
2. श्री लक्ष्मण

पुत्रगण स्व0 श्री रतना, जाति नाई, निवासी बालाजी वाली गली, ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील वादीगण की ओर से।

2– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 01.05.2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री रतना पुत्र सूजा जाति नाई निवासी ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर के नाम जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में ग्राम घूघरा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 766/946 खसरा संख्या 1090/3676 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म बारानी–2 दर्ज चली आ रही है एवं वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता श्री रतना पुत्र श्री सूजा जाति नाई के स्वर्गवास पश्चात विरासती नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 05.11.2019 से वादीगण व उनकी माता श्रीमति सुन्दर देवी व बहनों सुशीला, माया व लक्ष्मी सभी के नाम 1/6 – 1/6 हिस्से अनुसार जमाबन्दी में बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिये गये। विरासत नामान्तरकरण पश्चात वादीगण की बहनों व माताजी ने अपने–अपने हक हिस्से का हक त्याग वादी संख्या 1 के हक में करने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1002 दिनांक 18.12.2020 को स्वीकृत कर जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075–76 में इन्द्राज कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 1090/3676 रकबा 0.74 हैक्टर का वादी संख्या 1 5/6 हिस्से व वादी संख्या 2 1/6 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वादी संख्या 1 द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 30.09.2019 को विरासत खुलवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने व पटवारी हल्का घूघरा से जांच पड़ताल करने पर उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तारवन्दी कर कब्जा करने की जानकारी हुई। तत्पश्चात वादीगण ने सर्वप्रथम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाकर उक्त विभाग, जिलाधीश कार्यालय अजमेर, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर एवं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जयपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वादग्रस्त आराजी हाल खसरा संख्या 1090/3676 वर्किंग खसरा संख्या 1468 व चौसाला खसरा संख्या 956 को घूघरा हैलीपेड हेतु अवाप्त करने व

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

मुआवजा राशि की सूचना चाही जाने पर सभी विभागों ने सूचना से इन्कार किया व जानकारी नहीं होना अंकित किया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 27.07.2020 को जवाब में सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी। उक्त विभाग ने वादीगण की आराजी को अवैध तारबन्दी के अन्दर कर वादीगण को उसके उपयोग–उपभोग व लाभों से वंचित कर रखा है। वादीगण अपने पिता के स्वर्गवास के समय नाबालिग थे एवं माताजी परिवार का पेट पालने हेतु मेहनत मजदूरी करने में व्यस्त थी। इस कारण विभाग द्वारा विवादित आराजी पर तारबन्दी कर भूमि को तारबन्दी के अन्दर लेने की जानकारी नहीं हुई। तब सम्बन्धित विभाग से सूचनायें प्राप्त की एवं कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्रेषित किया गया किन्तु कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। सर्वप्रथम वादकारण दिनांक 30.09.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर पटवारी हल्का से एवं मौके पर जाकर देखने पर तारबन्दी की जानकारी हुई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से सूचना प्राप्त कर उक्त विभाग व जिला कलक्टर, अजमेर को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने से वाद कारण आज दिनांक तक लगातार जारी है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने व वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य करने पर सख्त आमदा है, जिसमें यदि वे सफल हो गये तो वादीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात से महरूम हो जायेंगे, जिससे वादीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मालिक स्वामी चले आ रहे हैं। वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री फरमाने पर तहसीलदार अजमेर आदेश की पालना करेंगे। इसलिये इन्हे प्रतिवादी संख्या 2 मुर्तिब किया गया है, अन्य कोई दादरसी उनके विरूद्ध नहीं चाही गई है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, भूमि की किस्म व शक्ल परिवर्तित करने तथा निर्माण कार्य करवाने से अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, चाकर, अधिकारी, कर्मचारीगण इत्यादि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने एवं इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण की वादग्रस्त आराजी को अपनी तारबन्दी की हद से मुक्त कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करते हुए भविष्य में कब्जा नहीं करने से पाबन्द किया जाकर इस अमर की बेदखली की आज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करने तथा यदि प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण की उक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजी सार्वजनिक कार्य हेतु आवश्यकता होने की दशा में आराजी को अवाप्त कर डी0एल0सी0 दर से उचित कानूनी मुआवजा भुगतान करने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गुर्जर एवं प्रतिवादी संख्या 2 जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 फॉर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवावदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों/कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बाबूलाल पुत्र रतना हिस्सा 5/6 जाति नाई सा0 देह खातेदार व लक्ष्मण पुत्र रतना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 07.11.1973 को राशि रूपये 7177/– का अवार्ड जारी किया गया था जो कि जमीन श्री रतना व छोटू पिता स्व0 श्री सूजा नाई के नाम पर दर्ज थी। अवार्ड श्री सुजान पुत्र श्री घीसा के नाम जारी किया गया एवं अवार्ड राशि रूपये 7177/– है। जिसके अनुसार खसरा संख्या 1090/3676 रतना पुत्र सूजा नाई व छोटू पुत्र सूजा नाई के नाम पर था। वादीगण श्री रतना के पुत्र हैं व श्री छोटू के

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

पुत्र व अन्य का हिस्सा भी इसी राशि रूपये 7177/– में अवार्ड पारित है। नियमानुसार राशि रूपये 7177/– में से आधी राशि के हिसाब से रूपये 3589/– देय है। श्री बाबूलाल को हिस्सा 5/6 अनुसार राशि रूपये 2990/– व श्री लक्ष्मण को हिस्सा 1/6 अनुसार राशि रूपये 599/– देय है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर लगभग 35–40 वर्ष पुराना घूघरा हैलीपेड जिसका आकार 150 गुणा 200 मीटर अर्थात 3 हैक्टर भूमि पर हैलीपेड का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि का अवार्ड पूर्व में ही जारी हो चुका है एवं वर्तमान में उक्त आराजी पर हैलीपेड बना हुआ है। जिस पर वादीगण का कोई हक व अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण को किसी प्रकार से वादकारण भी उत्पन्न नहीं होने से वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। अन्त में जवाब वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. यह कि वादग्रस्त आराजियात बाबत वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से कब्जा प्राप्त करने अथवा वर्तमान बाजार दर से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

–जिम्मे वादीगण

2. यह कि वादीगण वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त किये जाने के अधिकारी है?

–जिम्मे वादीगण

3. यह कि वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है ?

–जिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श–पी0 1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–पी0 2 एवं कलक्टर अजमेर व अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर को प्रेषित पत्र प्रदर्श–पी0 3 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0 डब्ल्यू–1 बाबूलाल, पी0 डब्ल्यू–2 लक्ष्मण, पी0 डब्ल्यू–3 गोपी किशन के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य वादी जिरह पूर्ण नहीं करने पर दिनांक 27.10.2025 को जिरह प्रतिवादी बंद की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 12.01.2026 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के वकीलों की बहस पर मनन किये जाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व विधिक प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है :–

1. यह कि वादग्रस्त आराजियात बाबत वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से कब्जा प्राप्त करने अथवा वर्तमान बाजार दर से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

–जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– इस तनकी को सिद्ध किये जाने का भार वादीगण पर रहा है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1090/3676 रकबा 0.7400 है0 पर खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 में वादीगण के पिता श्री रतना पुत्र सूजा जाति नाई द्वारा एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2077 में स्वयं वादीगण एवं उनकी माताजी व बहनों द्वारा काश्त किया जाना उक्त गिरदावरियां प्रदर्श–पी0 2 के रूप में प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है। साथ ही अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श–पी0 1 प्रस्तुत कर विवादित आराजी का वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होना भी प्रमाणित किया है। इस तथ्य को स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बाबूलाल पुत्र रतना हिस्सा 5/6 जाति नाई सा0 देह खातेदार व लक्ष्मण पुत्र रतना हिस्सा 1/6 जाति नाई सा0 देह खातेदार के नाम

दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी श्री रतना व छीदू पिता स्व0 श्री सूजा नाई के नाम पर दर्ज होने से दिनांक 07.11.1973 को राशि रूपये 7177/– का अवार्ड इनके नाम जारी किया जाना बताया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे अनुसार उक्त अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि तत्समय खातेदारों द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने के तथ्य भी पत्रावली पर प्रकट आये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त अवार्ड राशि रूपये 7177/– में से आधी राशि के हिसाब से रूपये 3589/– देय होना बताते हुए इस राशि में से श्री बाबूलाल को हिस्सा 5/6 अनुसार राशि रूपये 2990/– व श्री लक्ष्मण को हिस्सा 1/6 अनुसार राशि रूपये 599/– देय होने का कथन किया है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। फलस्वरूप तनकी संख्या 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस हद तक स्वीकार कर निर्णित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 (सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर) उक्तानुसार देय अवार्ड राशि अनुसार नियमान्तर्गत वर्तमान डी0एल0सी0 दर अनुसार वादीगण को मुआवजा राशि का भुगतान करे।

2. यह कि वादीगण वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त किये जाने के अधिकारी है?

–जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– इस तनकी को सिद्ध किये जाने का भार वादीगण पर रहा है। वादीगण ने खसरा गिरदावरी सम्वत 2076, 2077 एवं अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार/काश्तकार होने का तथ्य साबित किया है किन्तु पत्रावली पर यह तथ्य भी निर्विवाद रूप प्रकट आया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत दिनांक 07.11.1973 को ही वादीगण के पिता के नाम अवार्ड जारी हो चुका था एवं वादग्रस्त आराजी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 35–40 वर्ष पुराना 150 गुणा 200 मीटर आकार का घूघरा हैलीपेड अर्थात 3 हैक्टर भूमि पर हैलीपेड का निर्माण किया हुआ है। वर्तमान में विवादित आराजी पर वादीगण का कोई हक, अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। फलस्वरूप उक्त विभाग के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस कारण तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से बहक प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

3. यह कि वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है ?

–जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी का निर्णय हाजा न्यायालय द्वारा इस प्रकार से किया जाता है :– इस तनकी को सिद्ध किये जाने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने तनकी संख्या 2 में पूर्णतया सिद्ध किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत दिनांक 07.11.1973 को ही वादीगण के पिता के नाम अवार्ड जारी किया गया था एवं वादग्रस्त आराजी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 35–40 वर्षो पुराना हैलीपेड का निर्माण किया हुआ है। साथ ही वर्तमान में विवादित आराजी पर वादीगण का कोई हक, अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण तनकी संख्या 2 बहक प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष :– उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 (सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर) उक्तानुसार देय अवार्ड राशि अनुसार नियमान्तर्गत वर्तमान डी0एल0सी0 दर अनुसार वादीगण को मुआवजा राशि का भुगतान करे। ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्तमान आराजी खाता संख्या नया 766 पुराना 946 खसरा संख्या 1090/3676 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म बारानी–2 राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर के नाम दर्ज की जावे। अन्य अनुतोष हेतु वादीगण

सहायक कलक्टर (5)

का वाद साबित नहीं होता है, फलस्वरूप अन्य अनुतोष बाबत वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रत्न कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या – 172/2022
पीठासीन अधिकारी–रतन कौर (आर.ए.एस.)
वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. श्री बाबूलाल
2. श्री लक्ष्मण

पुत्रगण स्व0 श्री रतना, जाति नाई, निवासी बालाजी वाली गली, ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील वादीगण की ओर से।
2– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक–01.05.2026

उभयपक्ष वकील असालतन स्वयं उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 01.05.2026 को पीठासीन अधिकारी रतन कौर, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन एवं विधिक प्रावधानों का ससम्मान अध्ययन कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 (सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर) उक्तानुसार देय अवार्ड राशि अनुसार नियमान्तर्गत वर्तमान डी0एल0सी0 दर अनुसार वादीगण को मुआवजा राशि का भुगतान करे। ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्तमान आराजी खाता संख्या नया 766 पुराना 946 खसरा संख्या 1090/3676 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म बारानी–2 राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर के नाम दर्ज की जावे। अन्य अनुतोष हेतु वादीगण का वाद साबित नहीं होता है, फलस्वरूप अन्य अनुतोष बाबत वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री पारित की जाती है तथा तहसीलदार अजमेर को उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते है।

खर्चा मय वाद व शरह तक को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूली यानि तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.05.2026 को जारी की गई।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक अजमेर (मु.) अजमेर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर